कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, रांची–834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), E-mail: pccf-jhk@gov.in

पत्रांक:11E- 19(A) III-02/2017-3129 दिनांकः 24.08.2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सभी)।
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सभी)।
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (सभी)।
मुख्य वन संरक्षक (सभी)।
वन संरक्षक (सभी)।
वन प्रमंडल पदाधिकारी (सभी)।

विषयः **दिनांक 05.09.2018 एवम् 06.09.2018 को पूर्वाहन् 11:00 बजे (पूर्वाह्न) विभागीय समीक्षात्मक बैठक के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 05.09.2018 (बुधवार) एवम् 06.09.2018 (बृहस्पतिवार) को पलाश सभागार, राँची में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई है जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा की जायेगी :–

2. इसके लिए निम्नांकित तालिका में अंकित पदाधिकारी समन्वय करते हुए सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी तक के अधिकारियों को एजेण्डा बिन्दु/नोट दिनांक 27.08.2018 तक प्रचारित करा देंगे :–

तिथि एवं समय	**विषय**	**एजेण्डा बिन्दु/नोट वन प्रमंडल पदाधिकारी तक को प्रचारित करने हेतु नोडल पदाधिकारी**	**अभ्युक्ति (अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु)**
1	2	3	4
05.09.2018 (बुधवार) 11:00–12:00 बजे	वन्यप्राणी से संबंधित मामले	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) (प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी के निर्देशन में)।	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर द्वारा पलामू व्याघ्र परियोजना के वनों पर जैविक दबाव कम करने हेतु तैयार Concept Note पर प्रस्तुति
12:00–01:00 बजे	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से संबंधित मामले	मुख्य वन संरक्षक–सह–परियोजना निदेशक, परियोजना समन्वय इकाई, झारखंड (प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड के निर्देशन में)।	

02:00–03:00 बजे	योजना–मद की स्कीमें	उप वन संरक्षक, योजना जनजातीय क्षेत्र (प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशन मे)।	(1) मुख्यमंत्री जन–वन योजना की प्रमंडलवार भौतिक उपलब्धि की समीक्षा। (2) इस वर्ष वनरोपण अग्रिम कार्य एवं वन संवर्द्धन स्थल की क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर गठित समिति द्वारा चयनित सूची।
03:00–04:00 बजे	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	राज्य वृक्ष विज्ञानी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के निर्देशन में)।	
4:00–5:30 बजे	कैम्पा	वन प्रमंडल पदाधिकारी सामाजिक वानिकी योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, रांची (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखंड के निर्देशन में)।	(1) प्रमंडलवार e-Green Watch पोर्टल पर Polygon Uploading की अद्यतन स्थिति (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में)। (2) कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2018–19 अंतर्गत CA/PCA वनरोपण के लिए Backlog एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्रों की योजना संबंधित याचित प्रतिवेदन।
06.09.2018 (बृहस्पतिवार)			
10:00–11:00 बजे	विशेष परियोजनाएँ।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, प्रकोष्ठ रांची (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजना के निर्देशन में)।	(1) IWMP की प्रगति (2) SMAF की प्रगति
11:30–01:00 बजे	कार्य नियोजना से संबंधित मामले।	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, रांची (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, रांची के निर्देशन में)।	(1) वित्तीय वर्ष 2018–19 में National Action Plan on Forest Fire के अन्तर्गत Action Taken Report से संबंधित (प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का e-mail दिनांक 19.08.2018)। (2) वन अधिकार अधिनियम के तहत निष्पादित दावों से संबंधित मासिक प्रतिवदन विहित प्रपत्र में।

02:00–03:00 बजे	वन विकास अभिकरण से संबंधित मामले	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी जनजातीय क्षेत्र, रांची (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विकास अभिकरण, झारखण्ड के निर्देशन में)।	(1) वचनबद्ध देनदारी वाले वन विकास अभिकरण द्वारा लंबित माँग के विरूद्ध किये गये कार्यों की विवरणी। (2) रीजन से समेकित सभी वन विकास अभिकरणों के अंतर्गत अभिकरणवार JFMC खातों और FDA खातों में अलग–अलग प्रमंडलवार कुल अव्यवहृत राशि की अद्यतन स्थिति। (3) FDA खातों से SFDA खाते में जमा की गयी राशि की विवरणी। (4) JFMC का वित्तीय वर्ष 2018–19 में निर्माण किये जाने वाली सूक्ष्म योजना की अद्यतन स्थिति। (5) मुख्य वन संरक्षक –सह–परियोजना निदेशक, परियोजना समन्वय ईकाई, झारखंड द्वारा बाह्य वित्त पोषित लोक सहभागी वन प्रबंधन योजना के सूत्रण पर प्रस्तुति
03:00–04:00 बजे	प्रधान मुख्य वन संरक्षक को समर्पित किये जाने वाले मासिक प्रतिवेदन।	वन प्रमंडल पदाधिकारी (निदेशन एवं प्रशासन) (मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन के निर्देशन में।	(1) गैर योजना, योजना एवं कैम्पा मद का व्यय प्रतिवेदन। (2) लेखा समर्पण की अद्यतन स्थिति। (3) जंगली जानवरों से हुई जान–माल की क्षति एवं मुआवजा भुगतान से संबंधित मासिक प्रतिवेदन । (4) वन सीमा स्तंभों की Plane Table Survey द्वारा वरीय अधिकारियों के स्तर पर जाँच (*गूगल शीट* में विहित प्रपत्र में) का अद्यतन प्रतिवेदन।

अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन संलग्न निर्धारित प्रपत्रों में सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक अपने अधीनस्थ वन संरक्षकों व वन प्रमंडल पदाधिकारियों का प्रतिवेदन समेकित कर उपरोक्त तालिका

के कॉलम 3 में अंकित संबंधित नोडल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। वन संरक्षकों व वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा इस कार्यालय को सीधे समर्पित प्रतिवेदन स्वीकार नहीं होगा। संबंधित पदाधिकारी अपने स्तर से निर्गत एजेण्डा बिन्दु की सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायेंगे। मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची दिनांक 05.09.2018 एवं 06.09.2018 को निर्धारित बैठक हेतु पलाश सभागार को आरक्षित करते हुए आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करेंगे।

वांछित प्रतिवेदन Soft copy, Hard copy तथा e-mail द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 30.08.2018 तक भेजते हुए बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

24/8/18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक: - 3129 **दिनांक:** 24.08.2018

प्रतिलिपि: ENVIS Cell को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

24/8/18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक: - 3129 **दिनांक:** 24.08.2018

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के सभी सहायक वन संरक्षक/सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।